रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2008/चैत्र 26, 1930
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2008/CHAITRA 26, 1930

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2008

सं. 7/1(2)/2007/स्था./केविविआ.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 91 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवास) विनियम, 2007 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.–(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवास) (संशोधन) विनियम, 2008 है ।

(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 3 का संशोधन.–मूल विनियम के विनियम 3 के खंड 3.4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"किराए की उपयुक्तता का निर्धारण, आयोग द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा गठित की जाने वाली तीन सदस्यों, जिसमें से एक सदस्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) का प्रतिनिधि होगा, से मिलकर बनने वाली आंतरिक समिति द्वारा किया जाएगा । समिति द्वारा विचार किए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा कम से कम एक सप्ताह पूर्व अग्रिम में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को भेजा जाएगा । यदि सी.पी.डब्ल्यू.डी. का प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए कम से कम एक सप्ताह की सूचना देने के पश्चात् और सी.पी.डब्ल्यू.डी. को यह सूचना देते हुए, दूसरी बैठक बुलाई जाएगी कि यदि उनके विचार प्राप्त नहीं होते हैं तथा उनका प्रतिनिधि दूसरी बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. को प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं है । समिति, ऐसी दूसरी बैठक में मामले का विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगी ।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/4/150/2008/असा.]

टिप्पण : मूल विनिमय, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 17-8-2007 को अधिसूचित किए गए थे ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2008

No. 7/1(2)/2007/Estt/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 91 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Leased accommodation) Regulations, 2007, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Leased accommodation) (Amendment) Regulations, 2008.

(ii) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 3.**—For Clause 3.4 of Regulation 3 of the principal regulations, following shall be substituted, namely :—

"Reasonableness of rent shall be assessed by an Internal Committee, consisting of three members, to be constituted by the Commission by general or special order, out of which one member would be a representative of the Central Public Works Department (CPWD). The details of the proposals to be considered by the Committee shall be sent to the CPWD at least one week in advance. If the representative of CPWD is not present in a meeting, another meeting shall be convened after giving a notice of at least one week for consideration of the proposals and also informing the CPWD that if their views are not received and their representative is not present in the second meeting, it shall be deemed that CPWD has no objection to the proposals. The Committee shall be competent to decide the matters in such second meeting."

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT III/4/150/2008/Exty.]

Note : The principal regulations were notified in the Gazette of India (Extrordinary), Part III, Section 4 on 17-08-2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.